



भारत में सार्वभौमिक पहुँच हेतु सुसंगत दशा-नरिदेश और स्थान संबंधी मानक

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए [भारत में सार्वभौमिक पहुँच के लिये सुसंगत दशा-नरिदेश और स्थान संबंधी मानक- 2021](#) को RPwD (संशोधन) नयिम, 2023 में संशोधित किया गया है।

भारत में सार्वभौमिक पहुँच हेतु सुसंगत दशा-नरिदेश और स्थान संबंधी मानक- 2021:

- यह भारत में [द्वियांग व्यक्तियों \(PwD\)](#) के लिये भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार और अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु नयिमों और मानकों का एक समूह है।
 - या वर्ष 2016 में जारी दशा-नरिदेश में [द्वियांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिये बाधा मुक्त वातावरण नरिमति करने](#) हेतु संशोधित सामंजस्यपूर्ण दशा-नरिदेशों और स्थान संबंधी मानक है।
 - पहले दशा-नरिदेश [बाधा मुक्त वातावरण](#) बनाने के लिये थे लेकिन अब [सार्वभौमिक पहुँच पर ध्यान केंद्रित](#) किया गया है।
- ये दशा-नरिदेश केवल [द्वियांग व्यक्तियों \(Persons with Disabilities- PwD\)](#) हेतु ही नहीं हैं, बल्कि सरकारी भवनों के नरिमाण से लेकर शहरों की [मास्टर-प्लानिंग](#) तक परियोजनाएँ बनाने में शामिल लोगों के लिये भी हैं।
- इन दशा-नरिदेशों के कार्यान्वयन हेतु [आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय \(MoHUA\)](#) नोडल मंत्रालय है।

भारत में पीडब्ल्यूडी से संबंधित विधायी ढाँचा:

- भारत ने वर्ष 2007 में [द्वियांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD\)](#) की पुष्टि की और दिसंबर 2016 में [द्वियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम](#) को पारित किया जो वर्ष 2017 में लागू हुआ।
 - RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार, [21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है](#)।
- PwD अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अनुसार, केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त (PwD हेतु) के परामर्श से [द्वियांग व्यक्तियों के लिये नयिम बनाती है, जिसमें उचित प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार हेतु पहुँच के लिये मानक नरिधारित किये जाते हैं](#)।
 - इसके तहत ["सुगम्य भारत अभियान" \(एक्सेसिबिल इंडिया कैंपेन\)](#) जैसी कई पहलें की जा रही हैं।
- अन्य पहलें:
 - [वशिष्ट विकलांगता पहचान पोर्टल](#)
 - [सुलभ भारत अभियान](#)
 - [दीनदयाल विकलांग पुनरवास योजना](#)
 - [सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता](#)
 - [विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप](#)




Figure 1.1 Holistic Framework for Universal Accessibility Implementation

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत लाखों बकिलांग व्यक्तियों का घर है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या नःशिक्त व्यक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियावधि को सुनश्चिति करता है? चर्चा कीजयि। (2017)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/harmonized-guidelines-and-space-standards-for-universal-accessibility-in-india>

